

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 सितम्बर 2014—भाद्र 31, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. एफ. 24-25-2013-एक-10.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, जिला सिंगरौली, थाना बैढ़न के अन्तर्गत दिनांक 13 दिसम्बर 2013 को हुई गोलीबारी की घटना की न्यायिक जांच के लिये आयोग के गठन से संबंधित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका 3 के अंतिम वाक्यांश “इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर” के स्थान पर “दिनांक 30 सितम्बर 2014 तक” स्थापित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. एफ. 24-25-2013-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd September 2014

No. F 24-25-2013-I-10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952) the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification of even No. Dated 16th December 2013 regarding the constitution of Inquiry Commission in the incidence of firing in the premises of District Singrauli on 13th December 2013, namely :—

AMENDMENT

in the said Notification, in last sentence of para 3 for the words “within three months of the date of publication of this Notification” the words “upto 30th September 2014”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAJESH KOUL, Dy. Secy.